सं० 91 पी०वी०/26
प०सं० 74/2014
क्र०सं० 42
सू०अ०रजिस्टर क्र०-74

सेवा में,

उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी /
जन सूचना अधिकारी, 807, जवाहर
भवन, लखनऊ ।

विषयः—सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के तहत सूचना दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त के संदर्भ में निवेदन करना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के तहत् निम्नवत् सूचना दिये जाने की कृपा करें :—

1 चयन वर्ष 2017—2018 में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति की गयी है की सूचना ।

2 चयन वर्ष 2017—2018 में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु 05 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि की सूचना ।

3 विभागीय सेवानियमावली 1999 एवं लिपिक वर्गीय सेवानियमावली 2014 में उल्लिखित नियमों के तहत प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु 05 वर्ष सेवा दिनॉक 27.01.2018 पूर्ण थी की सूचना ।

4 मेरे पत्र दिनॉक 09.11.2021 के संबंध में शासन को भेजी गयी आख्या (जिसमें मेरे पत्र, शासनादेश एवं शासन के पत्र को छोड़कर) शेष की छायाप्रति ।

5 मेरे पत्र दिनॉक 09.11.2021 पर कार्यालय द्वारा की गयी टिप्पणी की छायाप्रति ।

6 मेरे पत्र दिनॉक 11.01.2021 एव 17.02.2021 पर कार्यालय द्वारा की गयी टिप्पणी छायाप्रति ।

7 मुख्यालय पर कार्यरत सभी कार्मिकों का वर्ष 2010 से शासनादेशों के अनुसार वेतन निर्धारण किये जाने की सूचना ।

8 प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम सेवा अवधि की सूचना।

उपरोक्त सूचना दिये जाने हेतु रू0 40 / — (रू0 चालीस मात्र) की नगद धनराशि मूलरूप में संलग्न है। नोटो की संख्या—47एल 118617 एवं 48एस 045965 ।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

[redacted]

31/12/2021

प्र० अ० / सम्पर्कार्थ
2
31/12/21

रु 20/- 920/-
प्र० विचार
4-1-22

प्रस्तुत
प्रोग्राम
4-1-2022

पत्रांक 47/2021

अतिमहत्वपूर्ण

कु० सं०-1

सेवा मे,

श्रीमान उप राज्य मद्य-निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी/जन सूचना अधिकारी, जवाहर भवन, आठवां तल, 808 उ.प्र. लखनऊ।

विषय:-जन सूचना अधिनियम 2005 के तहत प्रमाणित सूचना शीघ्र उपलब्ध कराये जाने हेतु-:

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी [redacted] जनपद [redacted] हूं।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.07.2021 को राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उत्तर प्रदेश 807 जवाहर भवन, लखनऊ तथा समाज कल्याण विभाग (बापू भवन) उ.प्र. शासन लखनऊ दिनांक 28.07.2021 को सम्बोधित करते है। प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया था।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र पर की गयी समुचित कार्यवाही की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संलग्नक:-दिनांक 28.07.2021 प्रेषित प्रार्थना-पत्र की छायाप्रतियां। एवम् 10/=रूपये भारतीय पोस्टल आर्डर सं.54F74 - 2451 संलग्न किया जा रहा है।

लखनऊ।

दिनांक:- 03-09-2021

भवदीय

[redacted]

3-09-2021

पता-मकान नं. [redacted]

पोस्टल आर्डर 6 54F 42451 रु 10/- प्राप्त किया
Ar
20-9-21

6/9/21

सेवा में,

उप राज्य मघ निषेध अधिकारी / जन सूचना अधिकारी

(मुख्यालय)

807, जवाहर भवन, लखनऊ

विषय : <u>जनसूचना अधिकारी 2005 के तहत प्रमाणित छाया प्रतियाँ उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में :</u>

महोदय,

सविनय निवेदन है कि निम्नलिखित पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियों उपलब्ध करावा दें।

1. यह कि श्रीमती सरोज कुमारी राज्य मधुनिषेध अधिकारी, उ. प्र. द्वारा पेंशन से 5 प्रतिशत 5 वर्ष के लिये पेंशन की कटौती की गयी। विधिक तरीके से तथा संवैधानिक तरीके से की गयी अथवा विधि विरूद्ध तरीके से तथा असंवैधानिक तरीके से या मनमाने (इच्छानुसार) की गयी जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें।

2. यह कि (उपरोक्त प्रकरण में) मेरे पिता जी कमल किशोर शुक्ल के दण्डात्मक कार्यवाही जो शासकीय अधिवक्ता को परामर्श के लिए पत्र भेजा गया उसकी प्रति।

3. यह कि (उपरोक्त प्रकरण में) शासकीय अधिवक्ता द्वारा दिये गये अपने परामर्श की उसकी प्रति।

उपर्युक्त पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियों उपलब्ध कराये जाने हेतु 20 रूपये का पोस्टल आर्डर संलग्न किया जाता है।

लखनऊ

दिनांक : 02.11.2021

भवदीय

[redacted]

पता– [redacted]

मोबाइल नं. [redacted]